42

संख्या– 47 /XXXVI(1)/2012–563/2001

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 2 मार्च, 2012

विषय– उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–1–एक(10) छत्तीस(1)/न्याय अनु0/2004 दिनांक 26–10–2004 तथा शासनादेश संख्या–1–एक(10) छत्तीस(1)/न्याय अनु0/2005–563/2001 दिनांक 31–10–2005 द्वारा उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल हेतु सृजित 5 एवं 45 अस्थायी पदों के अनुक्रम में शासनादेश संख्या–27/XXXVI(1) एक/2010–563/2001 दिनांक 09–02–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के लिए अस्थायी रूप से सृजित सभी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये दिनांक 01–03–2012 से दिनांक 28–02–2013 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800 –अन्य व्यय–01–उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–1270/76–दस दिनांक 20 जुलाई 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 07–11–1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या– 47 /XXXVI(1)/2012–563/2001 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा देहरादून।

क्रमश.....2

2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4– वित्त अनुभाग–5 / कार्मिक अनुभाग / एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव